**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1272 का उत्‍तर**

**आंध्र प्रदेश में रेलवे के नये जोन की जांच करने के लिए समिति**

**1272. श्री सी. एम. रमेश:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या आंध्र प्रदेश के उत्‍तराधिकारी राज्‍य में रेलवे के नये जोन की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या समिति ने इस संबंध में अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले अब संसद सदस्‍यों, राज्‍य सरकारों और अन्‍य हित धारकों की राय लेने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो किन कारणों से विगत में गठित इस समिति को, यह शक्ति प्रदान नहीं की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी; और

(घ) क्‍या यह रेलवे के नये जोन के निर्माण की प्रक्रिया में देरी करेगा?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

**(क) से (घ): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,** 2014 **की अनुसूची** 13 **(अवसंरचना) की मद** 8 **के अनुसार, रेल मंत्रालय को आंध्र प्रदेश से अलग हुए राज्य में एक नया रेलवे ज़ोन स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करना अपेक्षित था। अन्य बातों के साथ-साथ, एक नए रेलवे ज़ोन स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए, वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। अंतिम निर्णय लेने से पहले समिति को संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, आदि सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्‍तुत कर दी है। इसमें निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय में इस मामले की विस्तृत जांच चल रही है।**

\*\*\*\*\*